"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल 2010—वैशाख 10, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), अपर आयुक्त, नरेगा (NREGA) एवं परियोजना निदेशक, नवा अंजोर कार्यक्रम, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदेन संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 1-2/2009/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 के अनुक्रम में "डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती" बुधवार दिनांक 14 अप्रैल, 2010 को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-4/7/2007/1/2.—श्री मनोहर पाण्डे, आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 12-04-2010 से 07-05-2010 तक मिड कैरियर फेस-4 प्रशिक्षण में नियोजित किया गया है. श्री पाण्डे के उक्त प्रशिक्षण अवधि में श्री आर. पी. जैन, आयुक्त, बिलासपुर सम्भाग, बिलासपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्रमांक/एफ 1/37/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक, जेल को दिनांक 11-05-2010 से 16-05-2010 तक नई दिल्ली में आयोजित एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु दिनांक 10-05-2010 से दिनांक 18-05-2010 तक कुल 09 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 09-05-2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम.डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक जेल, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्रमांक/एफ 1/84/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एम. एस. तोमर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, कांकेर रेंज, कांकेर को दिनांक 02-03-2010 से दिनांक 10-03-2010 तक कुल 09 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत करता है.

2. डॉ. एम. एस. तोमर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, कांकेर रेंज, कांकेर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. एस. तोमर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्रमांक-एफ-3-4/दो (तीन-जेल) 07.—राज्य शासन एतदद्वारा छत्तीसगढ़ प्रीजन प्रोवेशन रूल्स 1964 के नियम 6 (5) के अनुसार श्री भोजराम राजवाड़े, साकिन कोरबा, जिला-कोरबा पावर हाऊस रोड कोरबा को तीन वर्ष की अवधि के लिये अस्थाई रूप से राज्य परिवीक्षा मण्डल के अशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एच. सिद्दीकी, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 01-31/स्था/31/2009.—छ. ग. जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 में मुख्य अभियंता (सिविल) से प्रमुख अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियम में 02 वर्ष की अर्हकारी सेवा अवधि निर्धारित की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता (सिविल) से प्रमुख अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हकारी सेवा 02 वर्ष के स्थान पर, भर्ती नियम में अर्हकारी सेवा 01 वर्ष (कलेण्डर वर्ष 01-01-2010 से 31-12-2010 तक के लिए) की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 10-9/2010/16.—औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 96 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 63 (बी) में उल्लेखित अनुसूची 2-ए के क्रमांक 19 पर निम्नांकित अधिनियम राज्य शासन एतदद्वारा अन्तः स्थापित करती है :—

19. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 10-10/2010/16.—औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 96 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 63 (बी) में उल्लेखित अनुसूची 2-ए के क्रमांक 18 पर निम्नांकित अधिनियम राज्य शासन एतदद्वारा अन्तः स्थापित करती है :—

18. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 10-11/2010/16.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 42 (2) सहपठित धारा 54 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त सहायक श्रमायुक्तों, श्रम पदाधिकारियों, उप संचालक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को उनकी क्षेत्राधिकारिता के लिये अपराधिक प्रकरण स्वीकृति हेतु मुख्य निरीक्षक नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 10-12/2010/16.—औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 96 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 63 (बी) में उल्लेखित अनुसूची 2-ए के क्रमांक 17 पर निम्नांकित अधिनियम राज्य शासन एतद्द्वारा अन्तः स्थापित करती है :—

17. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्रमांक/एफ-2090/25-2/10/आजावि.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-10-53/2009/1/5 दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कारों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही शामिल करने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन-विलोपन एवं परिवर्धन करता है :

1. नियम 5-निर्णायक मण्डल की शक्तियां (1) "निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा" को अतिष्ठित करते हुए "निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन इस नियम की कण्डिका 5 (3) के उपबंधों के अधीन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा" प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. नियम 5-निर्णायक मण्डल की शक्तियां (3) "संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप हों" को अतिष्ठित करते हुए "संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाता हो परंतु निर्णायक मण्डल द्वारा स्वविवेक से यदि किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो शासकीय अधिकारी/कर्मचारी है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा उसके चयन के संबंध में मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्य मंत्री जी से आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा." प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. नियम 6-चयन की प्रक्रिया के उपनियम (2) की कण्डिका (झ) के उपरांत कंण्डिका "(ञ) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी होने बाबत विवरण" स्थापित किया जाता है.

4. नियम 6-चयन की प्रक्रिया के उपनियम (6) "निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित सम्मान वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा" के उपरांत "परंतु प्राप्त प्रविष्टियों में से यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव

उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रविष्टि विचार एवं चयन हेतु निर्णायक मण्डल (जूरी) के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा." स्थापित किया जाता है.

5. नियम 8-पुरस्कार की घोषणा- "निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से आयुक्त आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रस्तुत करेगा तथा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति की औपचारिक घोषणा राज्य शासन द्वारा की जायेगी" को अतिष्ठित करते हुए "निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से आयुक्त आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रस्तुत करेगा तथा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति की औपचारिक घोषणा राज्य शासन द्वारा इस नियम की कण्डिका 5 (3) के उपबंधों के अधीन की जाएगी" प्रतिस्थापित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्रमांक/एफ-2090/25-2/10/आजावि.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-10-53/2009/1/5 दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कारों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही शामिल करने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा, गुरु घासीदास सामाजिक चेतना सम्मान नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन-विलोपन एवं परिवर्धन करता है :

1. नियम 5-निर्णायक मण्डल की शक्तियां (1) "निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा" को अतिष्ठित करते हुए "निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन इस नियम की कण्डिका 5 (3) के उपबंधों के अधीन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा" प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. नियम 5-निर्णायक मण्डल की शक्तियां (3) "संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप हों" को अतिष्ठित करते हुए "संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाता हो परंतु निर्णायक मण्डल द्वारा स्वविवेक से यदि किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो शासकीय अधिकारी/कर्मचारी है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा उसके चयन के संबंध में मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्य मंत्री जी से आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा." प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. नियम 6-चयन की प्रक्रिया के उपनियम (2) की कण्डिका (झ) के उपरांत कण्डिका "(ञ) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी होने बाबत विवरण" स्थापित किया जाता है.

4. नियम 6-चयन की प्रक्रिया के उपनियम (6) "निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित सम्मान वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा" के उपरांत "परंतु प्राप्त प्रविष्टियों में से यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रविष्टि विचार एवं चयन हेतु निर्णायक मण्डल (जूरी) के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा." स्थापित किया जाता है.

5. नियम 8-पुरस्कार की घोषणा- "निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा जिस संस्था/व्यक्ति का चयन होगा उससे सम्मान ग्रहण करने के बारे में राज्य शासन द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् निर्णायक मंडल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्ति/संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी" को अतिष्ठित करते हुए

"निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा जिस संस्था/व्यक्ति का चयन होगा उससे सम्मान ग्रहण करने के बारे में औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् निर्णायक मंडल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति की औपचारिक घोषणा राज्य शासन द्वारा इस नियम की कण्डिका 5 (3) के उपबंधों के अधीन की जाएगी" प्रतिस्थापित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्रमांक/एफ-2090/25-2/10/आजावि.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-10-53/2009/1/5 दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कारों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही शामिल करने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन-विलोपन एवं परिवर्धन करता है :

1. नियम 5-निर्णायक मण्डल की शक्तियां (1) "निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा" को अतिष्ठित करते हुए "निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन इस नियम की कण्डिका 5 (3) के उपबंधों के अधीन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा" प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. नियम 5-निर्णायक मण्डल की शक्तियां (3) "संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा, निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप हों" को अतिष्ठित करते हुए "संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाता हो परंतु निर्णायक मण्डल द्वारा स्वविवेक से यदि किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो शासकीय अधिकारी/कर्मचारी है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा उसके चयन के संबंध में मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्य मंत्री जी से आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा." प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. नियम 6-चयन की प्रक्रिया के उपनियम (2) की कण्डिका (झ) के उपरांत कण्डिका "(ञ) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी होने बाबत विवरण" स्थापित किया जाता है.

4. नियम 6-चयन की प्रक्रिया के उपनियम (6) "निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित सम्मान वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा" के उपरांत "परंतु प्राप्त प्रविष्टियों में से यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रविष्टि विचार एवं चयन हेतु निर्णायक मण्डल (जूरी) के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा." स्थापित किया जाता है.

5. नियम 8-पुरस्कार की घोषणा- "निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा जिस संस्था/व्यक्ति का चयन होगा उससे सम्मान ग्रहण करने के बारे में राज्य शासन द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् निर्णायक मंडल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्ति/संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी" को अतिष्ठित करते हुए "निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा जिस संस्था/व्यक्ति का चयन होगा उससे सम्मान ग्रहण करने के बारे में औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् निर्णायक मंडल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति की औपचारिक घोषणा राज्य शासन द्वारा इस नियम की कण्डिका 5 (3) के उपबंधों के अधीन की जाएगी" प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

कृषि (मछली पालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-14/09/36/स्था.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग अराजपत्रित (कार्यपालिक) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2009 कहलायेंगे ।

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

   (क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा में नियुक्ति करने की शक्तियां सौंपी गयी हो;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति;

   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अंतर्गत सेवा में भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा;

   (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

   (ड.) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा;

   (ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

   (ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग।

3. **विस्तार तथा लागू होना** :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन** :- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :-

   (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों।

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** :- सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थायी या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका** :- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या साक्षात्कार द्वारा या दोनों के द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार में दर्शित है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक या स्थानापन्न हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि शासन द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से निश्चित की जायेगी ।

(4) उपनियम-(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जो वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये मेरिट के आधार पर चयन हेतु शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जायेंगे, तथापि विभागाध्यक्ष द्वारा एक चयन समिति गठित किया जाना चाहिये, जो इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगा।

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति** :– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें** :– परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन किये जाने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(1) आयु – (क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधो के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10(दस) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जावेगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों सहित, ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पदधारण कर रहे हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण:– शब्द ''छटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(ड.) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरणः– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास तक की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें;

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम दो वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(छ) जनजाति, अनुसचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गयी सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी स्थिति में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

टीपः- (1) उपरोक्त खंड (ग) (एक) एवं (ग) (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया जाता हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/ चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।

(ट) उच्चतर आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर जारी किये गये निर्देश भी लागू होंगे ।

(ठ) किसी भी मामले में उपरोक्तानुसार किसी एक या एक से अधिक आधार पर आयु में छूट का लाभ दिए जाने के उपरान्त भी शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं** :- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये जैसा कि अंनुसूची-तीन में दर्शायी गई है।

(3) **फीस** :- अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता** :- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा** :- चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में अनुमति नहीं दी जायेगी ।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** :- (1) नियुक्ति प्राधिकारी, एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें तीन सदस्य होंगे ।

(एक) सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा ऐसें अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित करें।

(दो) परीक्षा, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी ।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती :–** (एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर निर्धारित करे ।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार तीस प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे ।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए अनुभव की कुछ कालावधि आवश्यक शर्त के रूप में विहित की गई है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गये अभ्यर्थियों की सूची :–** (1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा की चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये, गुणागुण (मेरिट) क्रम में व्यवस्थित एक सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित

किया जाता हो, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्व साधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जावेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हो।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

(4) यह सूची समिति द्वारा प्रकाशित कराने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी ।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में यदि पदोन्नति/चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामांकित सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संवर्ग का प्रतिनिधि न हो तो समान प्रस्थिति के एक सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संवर्ग से संबंधित हो, पदोन्नति/चयन समिति में सम्मिलित किया जायेगा तथा पदोन्नति/चयन समिति के सदस्यों की संख्या में उस सीमा तक विस्तार किया जायेगा।

(2) अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति कालम (3) में उसके लिए यथाविनिर्दिष्ट पदों पर, अभ्यर्थियों की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में यथाविनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(3) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें :-** (1) उपनियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर जिनसे पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि अनुसूची-चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है पूर्ण कर ली हो तथा उपनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हो ।

स्पष्टीकरण- पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :- (1) संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) पदोन्नति के संबंध में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध लागू होंगे ।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना** :– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी ।

(2) पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड ज्येष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) के आधार पर होगी।

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे ।

स्पष्टीकरणः– ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया जाता हो, किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया जाता हो, केवल उनके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा ।

16. **चयन सूची** :– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति हेतु चयन सूची तैयार की जायेगी इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक विधिमान्य रहेगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति** :– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा ।

(2) साधारणतया उस व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख की बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

18. **परिवीक्षा** :– सेवा में सीधी भर्ती या पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन** :– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण** :– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है ।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नही निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

21. **व्यावृत्ति** :– इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी ।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति** :– इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किए जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप–सचिव.

अनुसूची - एक

(नियम-5 देखिये)

सेवा वर्गीकरण, वेतमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	(कार्यपालिक) तृतीय श्रेणी	9300-34800/-	4300/-	-
2	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	(कार्यपालिक) तृतीय श्रेणी	9300-34800/-	4300/-	-
3	सहायक मत्स्य अधिकारी	75	(कार्यपालिक) तृतीय श्रेणी	9300-34800/-	4300/-	-
4	अनुसंधाता	01	(कार्यपालिक) तृतीय श्रेणी	5200-20200/-	2400/-	-
5	सांख्यिकी लिपिक/ प्रगति सहायक	03 (1 सांख्येत्तर)	(कार्यपालिक) तृतीय श्रेणी	5200-20200/-	2200/-	-
6	मत्स्य निरीक्षक	169	(कार्यपालिक) तृतीय श्रेणी	5200-20200/-	2800/-	-
7	उप अभियंता	02 (सांख्येत्तर)	(कार्यपालिक) तृतीय श्रेणी	9300-34800/-	4200/-	-
8	सहायक मानचित्रकार	01 (सांख्येत्तर)	(कार्यपालिक) तृतीय श्रेणी	5200-20200/-	2400/-	-
9	प्रयोगशाला सहायक	01	(कार्यपालिक) तृतीय श्रेणी	5200-20200/-	1900/-	-
10	वाहन चालक	16	(कार्यपालिक) तृतीय श्रेणी	5200-20200/-	1900/-	-

अनुसूची–दो

(नियम–6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रातिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा
1	2	3	4	5	6
मत्स्योद्योग विभाग छत्तीसगढ़	1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	–	100 प्रतिशत	–
	2. कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	–	–	संचालक कोष लेखा एवं पेंशन से प्रतिनियुक्ति पर
	3. सहायक मत्स्य अधिकारी	75	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	–
	4. अनुसंधाता	1	–	100 प्रतिशत	–
	5. सांख्यिकी लिपिक/प्रगति सहायक	3 (1 सां.)	100 प्रतिशत	–	–
	6. मत्स्य निरीक्षक	169	100 प्रतिशत	–	–
	7. उप अभियंता	2 (सां.)	100 प्रतिशत	–	–
	8. सहायक मानचित्रकार	1 (सां.)	100 प्रतिशत	–	–
	9. प्रयोगशाला सहायक	1	100 प्रतिशत	–	–
	10. वाहन चालक	16	100 प्रतिशत	–	–

अनुसूची–तीन

(नियम–8 तथा 14 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
मत्स्योद्योग विभाग	1. सहायक मत्स्य अधिकारी	20	30 वर्ष (स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	(1) अ– सीधी भर्ती :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवविज्ञान में स्नातक (बी.एस–सी. बायोलॉजी) तथा केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित संस्थान बंबई से/बैरकपुर, बैंगलोर से प्रशिक्षित या ब– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान स्नात्तकोत्तर (एम.एस.सी. जूलॉजी) मत्स्य एवं मत्स्योद्योग में विशेषज्ञता।	
	2. मत्स्य निरीक्षक	20	30 वर्ष (स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान स्नातक में स्नातक (बी.एस–सी. बायालॉजी) और अंतर्देशीय मत्स्योद्योग में किसी भी केंद्रीय अथवा शासन द्वारा संचालित किसी संस्थान से प्रशिक्षित । या हायर सेकेण्डरी (विज्ञान) तथा 10 वर्ष का मैदानी कार्य (फील्ड वर्क) में अनुभव, (विभागीय कर्मचारियों के लिए)	
	3. सांख्यिकी लिपिक/ प्रगति सहायक	20	30 वर्ष (स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	सांख्यिकी/गणित, अर्थशास्त्र में किसी एक विषय सहित स्नातक अथवा वाणिज्य में स्नातक	
	4. उप अभियंता	20	30 वर्ष (स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	तकनीकी शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	
	5. सहायक मानचित्रकार	20	30 वर्ष (स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण/ आई.टी.आई से ड्राफट्समेन कोर्स में डिप्लोमा।	
	6. प्रयोगशाला सहायक	18	30 वर्ष (स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकण्ड्री (10 + 2) विज्ञान ।	
	7. वाहन चालक	18	30 वर्ष (स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	आठवीं उत्तीर्ण तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों को चलाने का दीर्घ अनुभव, साथ ही चालक अनुज्ञप्ति	

अनुसूची–चार

(नियम 13 तथा 14 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है।	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है।	पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवावधि	विभागीय पदोन्नति समिति तथा सीधी भर्ती के लिये चयन समिति के सदस्य (नियम 14 देखिये)
1	2	3	4	5
मत्स्योद्योग विभाग छत्तीसगढ	**कार्यपालिक** (1) अनुसंधाता	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	(1)संचालक मत्स्योद्योग– अध्यक्ष (2)संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग– सदस्य (3)उप संचालक मत्स्योद्योग– सदस्य (मुख्यालय)
	(2) मत्स्य निरीक्षक	सहायक मत्स्य अधिकारी	5 वर्ष	––––"––––
	(3)सांख्यिकी लिपिक/ प्रगति सहायक	अनुसंधाता	5 वर्ष	––––"––––

Raipur, the 29th March 2010

No. F 1-14/2009/36/Estt. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, relating to the recruitment to the Chhattisgarh Fisheries Non-Gazetted (Executive) Service, namely:-

RULES

1. **Short title and Commencement.** - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Fisheries Non-Gazetted Class-III (Executive) Service, Recruitment Rules, 2009.

(2) These rule shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means such authority to whom the powers to appoint in the service have been assigned by the Government;

(b) "Committee" means the Departmental Promotion Committee/ Selection Committee;

(c) "Examination" means the competitive examination for recruitment to the service held under rule 11;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India;

(h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of India;

(i) "Service" means the Chhattisgarh Fisheries Non-Gazetted, Class -III (Executive) Service;

(j) "State" means the State of Chhattisgarh.

(k) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification no. F-8-5-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984.

3. **Scope and Application.** -Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of Service.** - The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.** - The classification of the Service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent basis or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.** - (1) Recruitment to the service, after the Commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) By Direct recruitment, by competitive examination or by interview or by both;

(b) By promotion of member of service as shown in Schedule-IV;

(c) By transfer/deputation of the persons who hold in a substantive or officiating capacity in such posts in such services, as may be specified in this behalf by the State Government.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause(c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for selection on merit bases for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the government. However Head of the Department should set up a selection committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued from time to time by General Administration Department shall be applicable.

7. **Appointment to the service.** - All appointments to the service after commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.** - In order to be eligible to compete at the examination/ selection, a candidate must satisfy the following conditions namely.—

(1) **Age** - **(a)** The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule- III, and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the First Day of January next following the date of commencement of the examination/selections.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste/Scheduled Tribe or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 10 (Ten) years to a woman candidate in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (special provisions for appointment of woman) Rule 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a temporary post, including work charged employees, per son getting pay from contingency and person employed in project Implementation committee, applies for any other post should not be more than 38 years of age.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation-The term "Ex-service-man" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service :—

(i) Ex-serviceman released under mustering out concessions,

(ii) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on
(a) Completion of short term engagement
(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit,

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers).

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(viii) Ex-servicemen invalidated out of service.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of two years for those candidate who are holding green card under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of superior caste partner of a couple awarded under the Inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste and Backward Classes Welfare Department;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 5 years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award and Maharaja Praveerchand Bhanjdev Awards holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The general upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service ren dered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years and the instruction issued from time to time by General Administration Department regarding age limit will be applicable.

Note (1) - Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in clause (c) (i) and (c) (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the applications, they resign from service either before or after examination/selection. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note (2) - In no other case will these age limit be relaxed, Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination/selection.

(k) In respect to upper age limit, the directive of General Administration Department issued from time to time will also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(2) **Educational qualifications.-** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fee.-** The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for the examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidates shall be final.-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/interview shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed in the examination/interview.

11. **Direct recruitment by Selection/competitive examination.-** (1) Appointing Authority shall constitute a selection committee consisting of three members.

(i) The examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine, in consultation with the Government, from time to time.

(ii) The examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct recruitment by Selection– (i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine, from time to time.

(ii) The selection of candidates shall be done by the selection Committee based on their interview..

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time..

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes at the stage of Direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relatives rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for woman candidates in accordance with the Chhattisgarh Civil Service (special provision for appointment of woman) Rule, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for filling up the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority, that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) There shall be Reserved post for disabled scandidates in accordance with the directions of the General Administration Department.

12. **List of Candidates recommended by the Selection Committee.-** (1) The selection committee shall prepare and forward a list to the appointing authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency in administration shall be sent to the Appointing Authority. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961, Candidates will be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order, in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The list shall be valid for a period of one year from the date of publication by the Committee.

13. **Appointment by Promotion.-**(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the promotion/selection committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Caste or Scheduled Tribes then one member belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/selection committee and the number of members of promotion/selection committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion of the members of service specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified on column (3) there of, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall apply.

(3) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

14. **Conditions of eligibility for promotion/transfer. -** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all who on 1st Day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent there to by the Government, and are within the Zone of consideration in accordance with the provisions of sub rule (2).

Explanation:-Method of calculation for eligibility for promotion:- The calculation of the period of qualifying services on 1st January of the relevant year in which the departmental promotion committee/ selection committee is convened shall be counted from the calendar year in which the Public Servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) In the matter of promotion, the provision of Chhattisgarh Public Service (promotion) rules, 2003 shall apply.

15. **Preparation of list of Suitable Candidates.-** (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in Rule 14 and as are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement & promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The criteria for preparation of select list of persons for promotion shall be based on seniority subject to fitness.

(3) The names of employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list.

Explanation :- The person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection

16. **Select list.-** (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be select list for promotion of the members of the service from the posts specified in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of the said Schedule.

(2) The select list for promotion shall be prepared in the calendar years which shall be valid up to one year from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and he may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the Service from the Select List .-** (1) Appointment of the employees included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.-** Every person directly recruited/promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply, in such manner, as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other condition required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and saving.-** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Classification of Service, Scale of Pay and number of the post included in the service.

S.No	Name of the Post Included in the service	Number of post	Classification	Pay scale	Grade Pay	Remark
1	2	3	4	5	6	7
1	Assistant Statistics Officer	1	(Executive) class III	9300-34800/-	4300/-	--
2	Junior Account Officer	1	--"--	9300-34800/-	4300/-	--
3	Assistant Fisheries Officer	75	--"--	9300-34800/-	4300/-	--
4	Investigator	1	--"--	5200-20200/-	2400/-	--
5	Statistics clerk/ progress Assistant	3 (1supernumerary)	--"--	5200-20200/-	2200/-	--
6	Fishery Inspector	169	--"--	5200-20200/-	2800/-	--
7	Sub Engineer	2 (supernumerary)	--"--	9300-34800/-	4200/-	--
8	Assistant Draughtsman	1 (supernumerary)	--"--	5200-20200/-	2400/-	--
9	Lab Assistant	1	--"--	5200-20200/-	1900/-	--
10	Driver	16	--"--	5200-20200/-	1900/-	--

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

Name of the department	Post of Service	Total No. of duty Post	Percentage of number of duty posts to be filled		
			By direct recruitment	By promotion of the members of the service	By transfer/deputation of the persons of other services
1	2	3	4	5	6
Fisheries Department Chhattisgarh	1.Assistant Statistics Officer	1	---	100%	---
	2.Junior Account Officer	1	---	----	On Deputation from Director of Treasure Accounts and Pension
	3.Assistant Fisheries Officer	75	25%	75%	-----
	4.Investigator	1	---	100%	-----
	5.Statistics clerk/ progress Assistant	3 (1supernumerary)	100%	---	
	6.Fishery Inspector	169	100%	----	-----
	7.Sub Engineer	2 (supernumerary)	100%	----	----
	8.Assistant Draughtsman	1 (supernumerary)	100%	-----	-----
	9.Lab Assistant	1	100%	-----	-----
	10.Driver	16	100%	----	----

SCHEDULE-III
(See Rule 8 and 14)

Name of the Department	Name of the Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Education Qualifications	Remark
1	2	3	4	5	6
Fisheries Department	1.Assistant Fisheries Officer	20	30 (35 year of local resident)	(1)A.- Direct recruitment :- B.Sc.in biology from any recognized university and trained from Mumbai/ Barrackpore Banglore conducted by central Govt. OR B. MSC (zoology) speciality in Fish & Fisheries from any recognized university.	
	2.Fishery Inspector	20	30 (35 year of local resident)	B.Sc. in biology from any recognized university and trained in Inland Fisheries from any Central or State Government institution. OR Higher Secondary (Science) and 10 Years experience in field work (for departmental employees)	
	3.Statistics clerk/ progress Assistant	20	30 (35 year of local resident)	Graduate with any of the subject statistics / mathematics, economics or graduate in commerce.	
	4.Sub Engineer	20	30 (35 year of local resident)	Diploma in civil engineering from Technical Education Board Chhattisgarh.	
	5.Assistant Draughtsman	20	30 (35 year of local resident)	Passed Higher Secondary / ITI Diploma Draughtsman Course.	
	6.Lab Assistant	18	30 (35 year of local resident)	Higher Secondary (10+2) Science from recognized board.	
	7.Driver	18	30 (35 year of local resident)	Passed 8th and long term experience to drive different vehicle along with driving licence.	

SCHEDULE-IV

(See Rule 13 and 14)

Name of the Department	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post on which promotion is to be made	Required service Period for promotion	Member of the Departmental Promotion Committee and Selection Committee for direct recruitment. (see rule 14)
1	2	3	4	5
Fisheries Department Chhattisgarh	Executive (1) Investigator	Assistant Statistics Officer	5 Year	1. Director Fisheries - Chairman 2. Joint Director Fisheries- Member 3. Deputy Director Fisheries- Member (Headquarter)
	(2) Fishery Inspector	Assistant Fishery Officer	5 Year	-------"-------
	(3) Statistics Clerk/ Progress Assistant	Investigator	5 Year	-------"-------

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(YACUB KHESS)
Deputy Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Agriculture (Fisheries) Deptt.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 20 मार्च 2010

रा.प्र.क्र. 34/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	कुम्हारी प. ह. नं. 56	0.754	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग सहसपुर लोहारा कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ. ग.)	कर्रानाला बैराज में मुख्य नहर निर्माण में पूरक अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 मार्च 2010

रा.प्र.क्र. 35/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	सुरजपुरा प. ह. नं. 56	0.240	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग सहसपुर लोहारा कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ. ग.)	कर्रानाला बैराज में नहर निर्माण का पूरक अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. 11/अ-82/99-2000/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कांसा, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.50 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	415/1 क	1.25
	415/1 ख	1.25
	415/1 ग	1.25
	415/1 घ	1.25
	415/1 छ	1.25
	415/1 च	1.25
	415/1 ज	1.25
	415/1 झ	1.25
	415/1 ञ	1.25
	415/1 ट	1.00
	415/1 ड	1.25
योग	11	13.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घटोई जलाशय के डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर-चांपा मु. चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेशचन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-पिकरीमाल, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.313 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	240/1	0.014
	240/2	0.006
	240/3/3	0.030
	240/1	0.015
	240/2	0.004
	240/3	0.004
	241/2 ख	0.030
	240/1	0.040
	240/2	0.050
	240/3 ग	0.043
	240/2	0.004
	240/3 ग	0.008
	241	0.055
	242/1	0.020
योग		0.313

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरगढ़ी, देवगांव मार्ग पर सेतु निर्माण के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-बरमकेला
(ग) नगर/ग्राम-खैरगढ़ी, प. ह. नं. 40
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.544 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
87/2 क	0.036
88	0.020
89/1	0.025
94/1	0.016
88	0.016
93	0.002
94/2	0.043
90	0.170
91/6/2	0.045
91/7	0.028
92/2	0.041
94/3	0.036
94/4	0.024
95/1 क	0.020
95/1 ख	0.010
95/1 ग	0.012
योग	0.544

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरगढ़ी, देवगांव मार्ग पर सेतु निर्माण के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम दिनांक 27 मार्च 2010

रा. प्र. क्र. 29/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
(ग) नगर/ग्राम-मोतिमपुर, प. ह. नं. 49
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
76/1, 76/2, 78/5	0.303
89/1	0.121
96	0.243
88/3, 89/2, 89/3	0.081
89/4	0.231
89/3	0.154
88/1	0.081
योग 7	1.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत रानीदहरा पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th April 2010

No. 181/Confdl./2010/II-3-1/2010.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Mamta Patel, III Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Raipur	Raipur	IV Civil Judge Class-II
2.	Ku. Neeru Singh, II Civil Judge Class-II.	Durg	Janjgir	Janjgir-Champa	II Civil Judge Class-II
3.	Shri Avinash Tiwari, IV Civil Judge Class-II.	Raipur	Dharamjaigarh	Raigarh	Civil Judge Class-II
4.	Shri Lavkesh Pratap Singh Baghel, VI Civil Judge Class-II.	Durg	Champa	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
5.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan, Civil Judge Class-II.	Champa	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	V Civil Judge Class-II
6.	Smt. Pooja Jaiswal, Civil Judge Class-II.	Bhatapara	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Civil Judge Class-II
7.	Shri Prashant Shivhare, II Civil Judge Class-II.	Janjgir	Bhatapara	Raipur	Civil Judge Class-II
8.	Shri Kiran Kumar Jangade, I Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Malkharoda	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
9.	Shri Venseslas Toppo, Civil Judge Class-II.	Malkharoda	Durg	Durg	VI Civil Judge Class-II
10.	Ku. Sunita Sahu, Civil Judge Class-II.	Dharamjaigarh	Bilaspur	Bilaspur	I Civil Judge Class-II
11.	Smt. Swarnlata Toppo, I Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Durg	Durg	II Civil Judge Class-II
12.	Shri Santosh Kumar Mahobiya, V Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Bilaspur	Bilaspur	III Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 13th April 2010

No. 183/Confdl./2010/II-3-1/2010.—The following Civil Judges Class-I as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Sanghratna Bhatpahari, IV Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	III Civil Judge Class-I
2.	Shri Vijay Kumar Hota, Civil Judge Class-I.	Sanjari Balod	Katghora	Korba	Civil Judge Class-I
3.	Smt. Vinita Warner, Civil Judge Class-I.	Baloda-Bazar	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Civil Judge Class-I
4.	Shri Thomas Ekka, Civil Judge Class-II.	Gariaband	Sanjari-Balod	Durg	Civil Judge Class-I
5.	Shri Dileshwar Singh Rathiya, II Civil Judge Class-I.	Rajnand-gaon	Gariaband	Raipur	Civil Judge Class-I
6.	Shri Chhameshwar Lal Patel, Civil Judge Class-I.	Katghora	Baloda-Bazar	Raipur	Civil Judge Class-I
7.	Smt. Girija Devi Meravi, III Civil Judge Class-I.	Jagdalpur	Bilaspur	Bilaspur	IV Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 13th April 2010

No. 185/Confdl./2010/II-2-1/2010.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is hereby posted on the post of Special Judge, as mentioned in Column No. (6) of the table below, of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Arun Kumar Pradhan, Additional District & Sessions Judge.	Sakti	Durg	Durg	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.

Bilaspur, the 13th April 2010

No. 187/Confdl./2010/II-2-1/2010.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Agralal Joshi, Secretary, High Court Legal Services Committee.	Bilaspur	Raipur	Raipur	VII Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Sypriel Xess, I Addl., District & Sessions Judge.	Bilaspur	Bhanu-pratappur	Uttar Bastar (Kanker)	Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Anthres Toppo, II Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Baloda-Bazar	Raipur	II Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Gokaran Singh Kunjam, VIII Additional District & Sessions Judge (FTC).	Bilaspur	Sarangarh	Raigarh	Additional District & Sessions Judge.
5.	Shri Rajendra Pradhan, VII Addl. District & Sessions Judge (FTC)	Durg	Manendra-garh.	Koriya (Baikunthpur)	III Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
6.	Shri Reshamlal Kurre, VIII Addl. District & Sessions Judge (FTC)	Durg	Jashpur	Jashpur	Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Veer Singh Salam, Additional District & Sessions Judge.	Bemetara	Khairagarh	Rajnandgaon	Additional District & Sessions Judge.
8.	Shri Ganesh Ram Sande, IV Addl. District & Sessions Judge (FTC).	Raigarh	Bemetara	Durg	Additional District & Sessions Judge.
9.	Shri Vijendra Nath Pandey, Additional District & Sessions Judge.	Sarangarh	Bilaspur	Bilaspur	II Additional District & Sessions Judge.
10.	Shri Satish Kumar Singh, Presiding Officer, Wakf Tribunal.	Raipur	Pratappur	Surguja (Ambikapur)	Additional District & Sessions Judge (FTC)
11.	Shri Narsingh Usendi, Registrar C. G. Arbitration Tribunal.	Raipur	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	Additional District & Sessions Judge.
12.	Shri Naresh Kumar Chandravanshi, I Addl. District & Sessions Judge.	Raipur	Sakti	Janjgir-Champa	Additional District & Sessions Judge.
13.	Shri Bhuneshwar Ram, VII Addl. District & Sessions Judge.	Raipur	Katghora	Korba	Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Smt. Suman Ekka, X Additional District & Sessions Judge (FTC).	Raipur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	III Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
15.	Smt. Sushma Sawant, XIV Addl. District & Sessions Judge (FTC).	Raipur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Additional District & Sessions Judge
16.	Shri Anil Kumar Gaikwad, II Additional District & Sessions Judge.	Baloda-Bazar	Pendra-Road	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
17.	Smt. Rajni Dube, I Addl. District & Sessions Judge.	Rajnand-gaon	Raipur	Raipur	I Additional District & Sessions Judge.
18.	Shri Nico Dious Ekka, Additional District & Sessions Judge.	Khairagarh	Bilaspur	Bilaspur	I Additional District & Sessions Judge.
19.	Shri Tularam Churendra, President, Distt. Consumer Disputes Redressal Forum.	Amibkapur	Raigarh	Raigarh	IV Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
20.	Shri Jagdamba Rai, III Additional District & Sessions Judge (FTC).	Ambikapur	Raipur	Raipur	X Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
21.	Shri Bhishma Prasad Pandey, Additional District & Sessions Judge (FTC).	Pratappur	Raipur	Raipur	XIV Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
22.	Shri Hemant Kumar Agrawal, III Additional District & Sessions Judge (FTC).	Manendra-garh	Durg	Durg	VIII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
23.	Shri Radhakishan Agrawal, Additional District & Sessions Judge.	Kanker	Durg	Durg	VII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
24.	Shri K. Vinod Kujur, Addl. District & Sessions Judge (FTC).	Bhanu-pratappur	Durg	Durg	IX Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).

बिलासपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्रमांक 2600/तीन-10-11/2000.—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 648/तीन-22-3/2008, दिनांक 17-01-2008, जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पखांजुर की श्रृंखला न्यायालय भानुप्रतापपुर से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 2600/III-10-11/2000.—The Notification No. 646/III-22-3/2008 dated 17-01-2008 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II & J.M.F.C., Pakhanjur at Bhanupratappur is hereby cancelled.

By order of the Hon'ble High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.